

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

-:अधिसूचना :-

संख्या.....-1296/2011 भू-अर्जन

कटिहार, दिनांक-17-05-11

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा खुरियाल थाना नं 573 थाना कदवा परगना अकबर पुर जिला कटिहार के अन्तर्गत मौजा खुरियाल आदिवासी टोला से मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम खुरियाल थाना नं 573 के भीतर एक भू खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.12एकड़ (बारह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या 2348,2367,2368,2369 का अंश और जिसका चौहदी निम्न प्रकार है:-

- उत्तर:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2367,2348 का अंश एवम् 2347,2346, 3329 पूर्ण एवम् 2373 बिहार सरकार रोड।
पुरब:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2367,2348 का अंश एवम् 3336 बिहार सरकार रोड।
दक्षिण:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2348,2367,2368,2369 का अंश।
पश्चिम:- मौजा खुरियाल थाना नं 573 का सर्वे खेसरा नं 2367,2348 का अंश एवम् 2370 पूर्ण और बिहार सरकार रोड खेसरा नं 2373 है।


यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित) अधिनियम 1-1984 की धारा -4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।


भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार एवं अंचल पदाधिकारी आजमनगर और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी आजमनगर एवं उनके कर्मचारी भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।


और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है, इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उप धारा (4) के अधिन आदेश दिया जाता है कि उस अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उस भूमि पर लागू नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कटिहार



अपर समाहर्ता
कटिहार


समाहर्ता
कटिहार


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या-14/डी0एल0ए0 कटार (संपर्क सड़क) खुरियाल-12/2011-1296/पटना-15, दि0-17 ⁰⁵/₁₃

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, कटिहार को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।